

सकिकमि वधानसभा में अनुसूचति जनजातियों के लयि आरक्षति सीटों की संख्या में वृद्धि

समाचारों में कयों

गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय जनजात आयोग द्वारा सकिकमि वधानसभा में अनुसूचति जनजातियों के लयि आरक्षति सीटों की संख्या 12 से बढ़ाकर 17 करने संबंधी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई महत्त्वपूर्ण फैसले कयि गए हैं। सकिकमि वधानसभा में इस समय 32 सदस्य हैं जसि बढ़ाकर 40 कयि जाना है। बढ़ाई जाने वाली आठ में से पाँच सीटें लमिबू एवं तमांग जनजातियों के लयि आरक्षति होंगी।

महत्त्वपूर्ण बडि

- वदिति हो कि केंद्रीय जनजात आयोग ने यह फैसला कयि है कि वह जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की जाँच के लयि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच दल भेजेगा, जो मामलों की जाँच कर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ने फैसला कयि कि सभी राज्यों को पत्र भेजकर यह जानकारी एकत्र की जाए कि उनके यहाँ जनजात कल्याण कार्यक्रमों की ताजा स्थिति क्या है।
- राज्यों से यह भी कहा जाएगा कि वे अपने यहाँ गठित आदिम जात भ्रंश परषिद की गतिविधियों की भी पूरी जानकारी दें। साथ ही राज्यों से यह भी अनुरोध कयि जाएगा कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय जनजात आयोग का लकि भी उपलब्ध कराएँ, ताकि लोगों को केंद्रीय जनजात आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सके।
- केंद्रीय जनजात आयोग ने यह भी कहा है कि वह जनजातियों की ज़मीन गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित करने को लेकर बहुत गंभीर है और इस मामले से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वसितुत अध्ययन कराया जाएगा। बाद में उस पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजति की जाएगी, जसिमें सभी राज्यों को आमंत्रित कर इस पर व्यापक वमिर्श कयि जाएगा।